अध्याय 2 (मैन्युअल - बी-xii)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

(The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes)

---

1. **ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं** - प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र -

2. निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों को होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं हैं, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।
   (क) नगर निगम नगर पालिका एवं पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के पांच किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हों, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।
   (ख) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।
   (ग) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी।
3. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समिति के परिवारों को प्रति वर्ष उपलब्धतानुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुए रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है, इसके तहत यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है, तो ही सदस्य को रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी। इसी प्रकार किसी क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रॉयल्टी देय होगी।

दाह संस्कार की व्यवस्था -

दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी विश्राम घाटों पर प्रचलित बाजार दर का 80 प्रतिशत पर फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

जलाऊ लकड़ी -

(क) राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से ग्रामीण गिरी-पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु एवं बिक्री हेतु सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं।

(ख) उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए निर्धारित दर पर जलाऊ चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम दो चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। उक्त चट्टों का परिवहन केवल बैलगाड़ी अथवा भैंसागाड़ी से किया जा सकेगा। कुछ ग्रामीणों को उपरोक्त चट्टे महँगे होने के कारण वन समिति सदस्यों को कूप से निस्तारी जलाऊ लकड़ी प्रदाय बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्रॉली से स्वयं चट्टा बनाकर लाने की सुविधा वर्ष 2007 से दी गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये जाने वाले चट्टों के लिए प्रति चट्टा मात्रा विदोहन मूल्य (आधा मानव दिवसस) वसूला जायेगा। ऐसे कूपों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ग) कूपों के अलावा कुछ नाभिकीय जलाऊ डिपो भी स्थापित किये जावेंगे जहाँ के संलग्न ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए पंचायत के प्रमाण-पत्र पर अधिकतम दो चट्टे तक प्राप्त कर सकते हैं। इन चट्टों का

केवल परिवहन बैलगाड़ी अथवा भैंसागाडी द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे नाभिकीय डिपो से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(घ) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें उनकी आवश्यकतानुसार बाजार दर पर निर्धारित डिपों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं। इन डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

बल्ली -

(क) वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्ली तक उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे निस्तार डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायतों के माध्यम से केन्द्रीय डिपों से बल्लियां प्राप्त कर सकते हैं। बल्ली की बिक्री दर की सूची संबंधित वनमंडलों अधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती हैं।

बांस -

(क) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के निवासी प्रति वर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे डिपों से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) प्रत्येक बंसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर एक हजार 500 नग तक बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बंसोड़ परिवारों को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रॉयल्टी माफ की गई है। इसी प्रकार बंसोड़ जाति के समान बुरड़, बंसोड़, बासोड़ी, बासफोर, बसोर एवं माँग जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रॉयल्टी माफ की गई है।

प्रगति - प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीणों को बांस, बल्ली तथा जलाऊ चट्टे प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2022 में निस्तार के तहत 17 लाख सात हजार नग बांस, सात हजार नग बल्ली तथ 50 हजार जलाऊ चट्टे ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये हैं। निस्तार व्यवस्था के तहत ग्रामीणों/ बसोड़ों को छः करोड़ 72 लाख रूपये की रियायत दी गई ।

बांस मिशन -

बांस एवं बांस शिल्पियों के हितों के संरक्षण के लिए "मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन (सोसायटी)" तथा"मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड" का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश में बांस वनों का विकास जन आंदोलन के रूप में करने की कार्यवाही की जा रही है। बांस वनों के प्रबंधन में वन समितियों के सदस्यों को और अधिक जोड़ा जाकर बांस आधारित रोजगार का भी विस्तार किया जा रहा है। बांस आधारित विकास एवं उद्यमिता को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिये प्रयास किये जा रहें हैं। इन प्रयासों में बांस शिल्पकारों एवं बांस उद्यमियों का विकास तथा बांस उत्पादों का प्रभावी विपणन सम्मिलित हैं।

कृषि भूमि पर बांस पौध रोपण एवं बांस प्रसंस्करण हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन योजना -

कृषकों की आय दोगुनी करने से उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा पिछले पांच वर्षों में कुल 15,007 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बांस वृक्षारोपण करवाया गया है। कृषकों द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत कृषक द्वारा बांस पौध रोपण हेतु रु 120 प्रति पौधे की दर से तीन वर्षों में अनुदान प्रदान किया जाता है।

अनुदान का वितरण :- योजना में कृषकों को बांस रोपण की कुल लागत एवं पहले तीन वर्षों का रखरखाव (रु. 240 प्रति पौधा) की 50% राशि अनुदान के रूप में तीन वर्षों तक 50:30:20 के अनुपात में वितरित की जाती है। अर्थात् अनुदान राशि रु. 120 प्रति पौधा का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :-

1. प्रथम वर्ष : (रु.60 प्रति पौधा) - प्रथम किश्त रु.36 प्रति पौधा रोपित पौधों के सत्यापन के आधार पर (रोपण उपरांत प्रदाय की जायेगी)

2. द्वितीय किश्त : रु. 24 प्रति पौधा रोपण के 4 माह बाद (जीवित पौधों के सत्यापन के आधार पर) द्वितीय वर्ष : रु.36 प्रति पौधा की दर से माह नवम्बर-दिसम्बर में कम से कम 80% जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जावे।

3. तृतीय वर्ष : रु 24 प्रति पौधा की दर से माह नवम्बर-दिसम्बर में 100% पौधों की जीवितता के आधार पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जावेगा।

- कृषक द्वारा निर्धारित प्रारूप में वनमंडलाधिकारी कार्यालय को आवेदन करना होगा।
- वनमंडलाधिकारी राज्य बांस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में कृषकों का चयन करेंगे एवं पौध रोपण की अनुमति देंगे ।
- अनुमति प्रदान करने के मिशन की वेबसाइट Bamboo Grower के
- उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा राज्य बांस ebamboobazar.org पर कृषक का पंजीयन रूप में किया जावेगा।
- पंजीयन उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा ebamboobazar.org पर डिपार्टमेन्ट लॉग इन आई-डी एवं पासवर्ड से वेरिफिकेशन किया जावेगा।
- इसके पश्चात् कृषक द्वारा म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा एक्रीडिटेड बांस रोपणियों अथवा सूचीबद्ध टिशु कल्चर प्रयोगशालाओं से पौधा क्रय कर रोपित किया जावेगा।
- पौध रोपण उपरांत वन मण्डल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर उपरोक्त संदर्भित प्रक्रिया अनुसार अनुदान सीधे कृषकों को वितरित किया जावेगा।

वर्ष 2022-23 हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा प्रदेश की रूपये 667.21 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मिशन द्वारा कुल 42 बांस शिल्पियों को तथा 735 बांस कृषकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिलाया गया है।

बांस मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 7909 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण कराया गया है, कुल 3841 हितग्राही लाभांवित हुए हैं। है। मनरेगा योजना के तहत स्व सहायता समूहों के माध्यम से इस वर्ष कुल 4511 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। यह कार्य स्वसहायता समूहों के माध्यम से कराया गया है।